

फुलेश्वर महतो वगैरह.....वादीगण ।

बनाम

अधिक महतो बगैरह.....प्रतिवादीगण

23.10.2019

आदेश

उभय पक्षों की पैरवी है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। अभिलेख सुनवाई एवं आदेश हेतु वादीगण की ओर से दिनांक-10.05.2019 को आवेदन आदेश 26 नियम 11 तथा प्रतिवादी का प्रत्युत्तर दिनांक-05.07.2019 को दिया गया है।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं वादीगण द्वारा यह वाद विवादी जमीन के बंटवारा हेतु लाया है तथा वादीगण द्वारा अनुतोष माँगा गया है कि विवादी जमीन में वादीगण का हिस्सा 1/2 भाग घोषित किया जाय। प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल ब्यान तहरीर के पारा-3 में कहा गया है कि विवादी जमीन का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के बीच हो चुका है, जिसमें वादीगण ने अपने पूर्वजों को मिले 7 1/2 डी0 जमीन में 4 1/2 डी. जमीन वादीगण के पूर्वजों ने प्रतिवादीगण के यहाँ बेच दिया। दोनों पक्षों के दंडप्रसंग की धारा 144 के अंतर्गत चले कार्यवाही में प्रतिवादी ने अपने कारण पृच्छा में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच बंटवारा दिनांक-26.02.1984 में हुआ। उक्त बातों का जिक्र वादी ने वाद पत्र के पारा-8 में किया है प्रतिवादी ने अपने ब्यान तहरीर के पारा-3 में कहा है कि बंटवारा 90 से अधिक वर्ष पूर्व हुआ। वादी के अभिवचन के पारा-7 में कहा गया कि विवादी संपत्ति संयुक्त है तथा पक्षकारगण संयुक्त परिवार के द्वारा बनाये गये पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत रह रहा है। प्रतिवादी के द्वारा दाखिल ब्यान तहरीर के पारा-9(ग) से लेकर 9(ड़) में लिखा है कि प्रतिवादीगण किस प्रकार बंटवारा कर रहे हैं। चूँकि प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल ब्यान तहरीर की बातों का खंडन करने का अवसर वादी को सिर्फ गवाही में ही प्राप्त था तथा उसकी ओर से खंड किया भी गया तथा अलग से कई तथ्यों का कथन किया है। जिससे विवादी जमीन पर के बने मकान की संयुक्त अवस्था में बनाये गये रहने की बात की पुष्टि होती है। इस वाद में एक पक्षकार द्वारा कही गई बातों में कुछ को स्वीकार किया गया है तथा कुछ को अस्वीकार। उक्त अस्वीकार किये गये तथ्य पर प्रकाश डालने हेतु अर्थात् स्पष्ट करने हेतु इस वाद के विवादी जमीन के भौतिक संरचना के निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्त किया जाना आवश्यक है ताकि सही तथ्य न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से आ सके तथा न्यायालय द्वारा अपने आपको अधिवक्ता आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अपने आपको ससक्षम बनाया जा सके तथा न्यायालय द्वारा वाद में समुचित न्याय निर्णयन किया जा सके। पूर्वज द्वारा बंटवारा नहीं किये जाने के कारण प्रतिवादीगण भी पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत रह रहे हैं तथा सभी का घर असमान क्षेत्रफल में है। यह कि अधिवक्ता आयुक्त पर होने वाले खर्च को वहन करने हेतु वादी तैयार है। इस आवेदन को दाखिल करने के समय तक वादी की ओर से एक भी गवाह का गवाही पूर्ण नहीं हुआ। अतः वादी के विद्वान अधिवक्ता जमीन के भौतिक संरचना के निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने की आग्रह करते हैं।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी के लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में सीरियल नंबर-1 एवं 2 जन दस्तावेज है। शेष नहीं है। जिसे लेन दिया जाना असंभव है क्योंकि प्रतिवादीगण को इन कागजातों का जवाब अपने साक्ष्य के दौरान और ब्यान तहरीर में देना संभव नहीं हो सका। फलतः प्रतिवादी को क्षति होगा। अतः प्लीडर कमिशनर की बहाली न्यायहित में होगा।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी का जो आवेदन है वह गलत नियम के तहत दाखिल कर प्रस्तुत किया गया है। चूँकि मुकदमा बंटवारा वाद से संबंधित है तथा प्रतिवादी भी इस आवेदन का समर्थन करते हैं। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति में यह न्यायालय यह न्यायोचित समझती है कि जमीन के भौतिक संरचना के निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कर उनका प्रतिवेदन वादी के खर्चा पर प्राप्त किया जाय। विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभात कुमार को अधिवक्ता आयुक्त हेतु नियुक्त किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि अधिवक्ता आयुक्त के खर्चा हेतु 20000/- रुपया नजारत में एक सप्ताह के अंदर जमा करेंगे। दिनांक-21.11.2019 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित